भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2389

3 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: बागवानी के लिए योजनाएं

2389. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में कार्यान्वित की जा रही बागबानी, बगीचों और वृक्षारोपण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक योजनाओं के लिए पृथक रूप से राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा ऐसे किसी अन्य समान संस्थान द्वारा इन क्षेत्रों के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को बढ़ावा देने और संभावित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), देश के चुनिंदा जिलों में फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको को शामिल करती हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र एमआईडीएच के अंतर्गत नहीं आता है। तथापि, एमआईडीएच के अंतर्गत नहीं आने वाले जिलों को बागवानी विकास गतिविधियों के लिए कृषि मंत्रालय की एक अन्य केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, आरकेवीवाई के तहत शाहजहांपुर जिले में बागवानी विकास गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख): केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं अर्थात समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत आवंटित की गई निधि का राज्य-वार विवरण अनुबंध – I & II पर है।

(ग) और (घ): आईसीएआर के बागवानी विज्ञान प्रभाग, आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ और आईसीएआर-आईआईवीआर, वाराणसी द्वारा विकसित निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में नियोजित किया जा सकता है:

1. पुराने और जीर्ण आम के बागों के लिए कायाकल्प प्रौद्योगिकी।
2. आम की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र खोलने की तकनीक।
3. आम में फल आने की नियमितता के लिए पैक्लोबुट्राजोल का प्रयोग।
4. आम के बाग आधारित कुक्कुट पालन।
5. आम का समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन।
6. अमरूद की खेती पर प्रौद्योगिकी।
7. विभिन्न सब्जियों पर विकसित प्रौद्योगिकियां/किस्में।

(ड.): एमआईडीएच दिशानिर्देशों के तहत, मानव संसाधन विकास (एचआरडी) एक घटक है। एचआरडी के तहत जागरूकता कार्यक्रमों, किसानों के प्रशिक्षण, एक्सपोजर दौरों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं और युवाओं को उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन पर नवीनतम तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमआईडीएच के तहत आवंटित निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रू. में

क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	114.00	114.00	120.00
2	अरुणाचल प्रदेश	26.00	26.00	22.00
3	असम	84.00	84.00	60.00
4	बिहार	22.50	22.50	25.00
5	छत्तीसगढ	123.00	123.00	110.00
6	गोवा	4.50	3.00	3.00
7	गुजरात	127.00	127.00	110.00
8	हरियाणा	110.00	110.00	120.00
9	हिमाचल प्रदेश	27.50	55.00	55.00
10	जम्मू और कश्मीर	47.50	135.30	100.00
11	झारखंड	34.00	34.00	30.00
12	कर्नाटक	130.00	130.00	130.00
13	केरल	39.50	39.50	40.00
14	मध्य प्रदेश	38.50	38.50	65.00
15	महाराष्ट्र	158.00	158.00	130.00
16	मणिपुर	37.00	37.00	26.00
17	मेघालय	42.00	42.00	25.00
18	मिजोरम	30.00	30.00	40.00
19	नागालैंड	32.00	32.00	26.00
20	ओडिशा	89.00	89.00	67.00
21	पंजाब	71.00	71.00	47.00
22	राजस्थान	90.50	90.50	60.00
23	सिक्किम	25.00	25.00	25.00
24	तमिलनाडु	98.00	98.00	115.00
25	तेलंगाना	28.00	28.00	28.00
26	त्रिपुरा	44.00	44.00	26.00
27	उत्तर प्रदेश	67.00	67.00	80.00
28	उत्तराखंड	55.00	55.00	55.00
29	पश्चिम बंगाल	44.00	44.00	34.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00	2.00	3.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नागर हवेली	0.50	0.50	0.50
33	दमन और दीव	1.50	1.50	1.00
34	दिल्ली	0.50	0.50	0.00
35	लक्षद्वीप	0.80	0.80	0.50
36	पुदुचेरी	3.00	3.00	3.00
	कुल	**1846.80**	**1960.60**	**1782.00**

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरकेवीवाई के तहत आवंटित निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रू. में

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	55.25	43.14	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3	असम	3.81	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	31.20	30.33	25.42
6	गोवा	1.28	0.00	0.00
7	गुजरात	40.50	16.34	0.00
8	हरियाणा	11.92	15.93	14.54
9	हिमाचल प्रदेश	3.16	2.77	0.00
10	कर्नाटक	30.02	33.87	70.47
11	केरल	10.00	6.10	19.39
12	मध्य प्रदेश	30.15	8.45	0.00
13	महाराष्ट्र	360.44	141.58	0.00
14	मणिपुर	0.00	1.52	3.00
15	मेघालय	5.80	1.79	0.73
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	5.42	2.53	0.49
18	ओडिशा	40.79	51.83	73.49
19	पंजाब	0.00	4.39	46.25
20	राजस्थान	2.75	0.00	323.29
21	तमिलनाडु	48.92	22.10	45.40
22	तेलंगाना	32.32	26.14	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	1.43	3.44
24	उत्तर प्रदेश	72.51	42.89	0.00
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
26	पश्चिम बंगाल	21.40	9.63	11.33
	कुल	**807.64**	**462.78**	**637.23**

****